गेल (इंडिया) लिमिटेड

प्रचालनगत सौर ऊर्जा संयंत्रों/परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

ईओआई दस्तावेज़ संख्या: गेल/एनडी/बीडी/सौर/ईओआई/2021

दिनांक 12.07.2021

प्रचालनगत सौर ऊर्जा संयंत्रों/परिसंपत्तियों परिचय गेल (भारत) लिमिटेड ("गेल") के अधिग्रहण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) के लिए निमंत्रण

1. परिचय

गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है, जिसमें अन्वेषण और उत्पादन, एलएनजी आयात, गैस ट्रांसमिशन और विपणन, गैस प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी ट्रांसमिशन और सिटी गैस वितरण शामिल हैं। गेल 30 जून 2021 तक लगभग 66,000 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज (जीडीआर के रूप में) में सूचीबद्ध है।

गेल के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया http://www.gailonline.com पर जाएं।

2. ईओआई के बारे में संक्षिप्त जानकारी

2.1. ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने और उसके अतिरिक्त अपने मिशन के अनुरूप गेल लगभग 1000 मेगावाट (एसी) क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों/परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों की तलाश कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में गेल प्रमोटरों/स्वतंत्र बिजली उत्पादकों/डेवलपर्स से ईओआई को आमंत्रित करता है जो सौर पार्क (कों) में स्थित अपने प्रचालनगत सौर ऊर्जा संयंत्रों/परिसंपत्तियों में 100% और/या 50% इक्विटी हिस्सेदारी की पेशकश करने के इच्छुक हैं, इसके बाद ' इच्छुक पार्टी (यों) ' के रूप में संदर्भित किया जाता है ।

2.2. इस ईओआई के मूल विवरण इस प्रकार हैं:

ईओआई डाउनलोड	ईओआई नीचे दी गई किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है: (i) www.gailonline.com (ii) गेल की निविदा वेबसाइट - www.gailtenders.in (iii) सरकार के सीपीपी पोर्टल - https://eprocure.gov.in
ईओआई लागत	शून्य
प्री- ईओआई मीटिंग दिनांक और समय	दिनांक 20 .07.2021 पूर्वाहन 11:00 बजे एमएस टीम्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से
प्री-ईओआई मीटिंग लिंक	https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjA5NGVhMWQtZjViZS00ZmY4LWFhMWYtYjkxN2YxNj%F22MTg0%3jkxN2YxNj%F22MTG%253a%2522288eb95d-efee-416f-b87b-0470a90e53e9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ffc404ed-7d30-4034-83bd-e68ef5e69e40%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meet -8685-29066ebb5404&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true

अधिग्रहण के लिए एसपीवी(यों) की पेशकश	पंजीकृत कंपनी , सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म, सीमित देयता कंपनी (एलएलसी)
ईओआई प्रस्तुति माध्यम	ई- मेल के माध्यम से : eoi_re@gail.co.in
ईओआई जमा करने की नियत तारीख और समय	दिनांक 03.08.2021 को 17:00 बजे से पहले
ईओआई वैधता	ईओआई जमा करने की नियत तारीख से 3 महीने तक

3. <u>व्यापक चयन मानदंड</u>

3.1. संयंत्र / परिसंपत्ति एक सौर पार्क में स्थित होना चाहिए ।

3.2. संयंत्र / परिसंपत्ति एक ही स्थान पर स्थित न्यूनतम 50 मेगावाट (एसी) क्षमता का होना चाहिए।

3.3. भारत में पंजीकृत एसपीवी द्वारा संयंत्र / परिसंपत्ति का स्वामित्व और संचालन किया जाना चाहिए । इच्छुक पार्टी (यों) को सौर पार्क (कों) में प्रस्तावित एसपीवी के स्वामित्व वाले सभी संयंत्र (त्रों) / परिसंपत्ति (यों) की पेशकश करनी चाहिए। पेश किए गए एसपीवी के पास सौर पार्क (कों) के बाहर कोई संयंत्र (त्रों) / परिसंपत्ति (यां) नहीं होना चाहिए।

3.4. संयंत्र (त्रों) /परिसंपत्ति (यों) से उत्पादित बिजली के लिए विद्युत क्रय समझौता(पीपीए) एनटीपीसी / एनवीवीएन, एसईसीआई या किसी अन्य केंद्र सरकार की एजेंसी, जिसका ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 18 वर्ष का जीवन समय शेष हो, के साथ होना चाहिए । केंद्र सरकार की एजेंसी को भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में किसी भी सरकारी कंपनी/सीपीएसई/सीपीएसयू के रूप में परिभाषित किया गया है ।

3.5. ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख के अनुसार प्रस्तावित एसपीवी (यों) के सभी संयंत्र (त्रों) पिछले 12 महीनों से न्यूनतम 95% संयंत्र उपलब्धता (पिछले 12 महीनों का औसत) के साथ निरंतर प्रचालन में होने चाहिए।

3.6. इच्छुक पार्टी (यों) / ओ एंड एम संयंत्र (त्रों) / परिसंपत्ति (यों) के ओ एंड एम पार्टी प्रदर्शन के अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से मौजूदा नियमों और शर्तों पर कम से कम दो वर्षों के लिए ओएंडएम सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर होने चाहिए ।

3.7. इच्छुक पार्टी (यां) की अधिग्रहण के लिए पेश किए गए संयंत्र / परिसंपत्ति की एसपीवी में कम से 50% इक्विटी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

3.8. यदि गेल प्रस्तावित एसपीवी में 50% इक्विटी हिस्सेदारी प्राप्त करता है तो इच्छुक पार्टी (यां) / शेष शेयरधारक (कों), जैसी स्थिति हो, को गेल के उस एसपीवी में इक्विटी भागीदार बनने की तारीख से 1 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए उस एसपीवी में 50% इक्विटी हिस्सेदारी बनाए रखना होगा। इसके बाद इच्छुक पार्टी (यां) / शेष शेयरधारक (कों), जैसी स्थिति हो, अपनी इक्विटी हिस्सेदारी तीसरे पक्ष (क्षों) को बेच सकता है, जैसे कि (i)फर्स्ट रिफ्युजल राइट (RoFR) गेल को और (ii) अगर गेल भी अपनी इक्विटी का विनिवेश करना चाहता है तो गेल की इक्विटी के साथ टैग जैसे अधिकारों के संबंध में भी सहमति प्रदान करनी होगी ।

4. <u>दस्तावेज प्रस्तुत करना</u>

4.1. एक ही पार्टी द्वारा स्वामित्व एसपीवी (यों) में इक्विटी (100% / 50%) पेश की स्थिति में, इच्छुक पार्टी को प्रत्येक एसपीवी में अपनी पेशकश की इक्विटी हिस्सेदारी का उल्लेख करते हुए इस दस्तावेज़ की धारा-2 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म-1 प्रस्तुत करना है।

4.2. एक से अधिक पार्टी द्वारा स्वामित्व एसपीवी (यों) में इक्विटी (100% / 50%) पेश की स्थिति में, प्रत्येक सदस्य को अपनी इक्विटी पेश करने की इच्छा की पुष्टि करने और गेल के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रमुख सदस्य मनोनीत करने के लिए इस दस्तावेज की धारा-2 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म-2 पर हस्ताक्षर करने होंगे । उक्त को मुख्य सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है । प्रत्येक प्रस्तावित एसपीवी के लिए अलग-अलग फॉर्म-II जमा किया जाना चाहिए।

4.3. यदि एसपीवी में 50% इक्विटी की पेशकश की जाती है जो किसी एक पार्टी के स्वामित्व में है, तो पार्टी को इस दस्तावेज की धारा-2 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म-III के अनुसार एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उस एसपीवी में गेल के इक्विटी साझेदार बनने की तारीख से 1 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए शेष 50% हिस्सेदारी बनाए रखेगा। पार्टी को गेल को फर्स्ट रिफ्युजल राइट (आरओएफआर) और (ii) अगर गेल भी अपनी इक्विटी का विनिवेश करना चाहता है तो गेल की इक्विटी के साथ टैग जैसे अधिकारों के संबंध में भी सहमति प्रदान करनी होगी । प्रत्येक प्रस्तावित एसपीवी के लिए अलग-अलग फॉर्म-III जमा करना होगा।

4.4. यदि एसपीवी में 50% इक्विटी की पेशकश की जाती है जो पार्टियों के समूह के स्वामित्व में है, तो पार्टियों द्वारा पेश की जाने वाली इक्विटी का कोई भी संयोजन स्वीकार्य है बशर्ते कि 50% तक इक्विटी रकम प्रदान की जाए। इच्छुक पक्ष / शेष शेयरधारक (कों), जैसी स्थिति हो, इस दस्तावेज की धारा-2 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म-III के अनुसार एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे

गेल के उस एसपीवी में इक्विटी साझेदार बनने की तारीख से 1 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए शेष 50% हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। उन्हें गेल को ऐसे अधिकारों के संबंध में भी सहमति प्रदान करनी चाहिए जैसे (i) गेल को फर्स्ट रिफ्युजल राइट (आरओएफआर) और (ii) गेल की इक्विटी के साथ टैग यदि गेल भी अपनी इक्विटी का विनिवेश करना चाहता है। उक्त को मुख्य सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है । प्रत्येक प्रस्तावित एसपीवी के लिए अलग-अलग फॉर्म III जमा किया जाएगा।

4.5. प्रत्येक इच्छुक पार्टी (यों) जिसने इक्विटी फॉर्म-1 और/या फॉर्म-II के अनुसार पेश की है, को इस दस्तावेज की धारा-2 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म-4 के अनुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत ईओआई का उल्लंघन न करने के संबंध में उनकी प्रतिबद्धता के लिए निदेशक स्तर के एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से विधिवत हस्ताक्षरित एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.6. इच्छुक पार्टी (यों) को इस दस्तावेज की धारा-2 के तहत प्रदान किए गए फॉर्म-वी के अनुसार एसपीवी (यों) के स्वामित्व वाले प्रत्येक प्रस्तावित संयंत्र / परिसंपत्ति के लिए अलग से चयन मानदंडों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी है ।

4.7. इच्छुक पार्टी (पार्टियों) को उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में वर्णित चयन मानदंड के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज (जों) को प्रस्तुत करने चाहिए :

i. इच्छुक पार्टी (पार्टियों) के गठन का प्रमाण पत्र
ii. एसपीवी के गठन का प्रमाण पत्र जिसकी इक्विटी प्रस्तुत की जाती है।
iii. एसपीवी शेयरधारिता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य
iv. एसपीवी के स्वामित्व वाले प्रस्तावित संयंत्र / संपत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के लिए दस्तावेजी साक्ष्य ।
v. पीपीए प्रतिपक्ष, संयंत्र क्षमता, संयंत्र स्थान, पीपीए की अवधि को दर्शाने वाले पीपीए के सार तत्व ।

4.8 इच्छुक पार्टी (पार्टियों) को बोलीदाता से प्रापण से संबंधित व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) दिनांक 23.07.2020, आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) दिनांक 23.07.2020 और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 3) दिनांक 24.07.2020 के अंतर्गत प्रावधानों को पूरा करना चाहिए जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है । इस दस्तावेज़ के खंड -2 के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए फॉर्म- VI के अनुसार प्रत्येक इच्छुक पार्टी (यों) द्वारा इस संबंध में स्वतंत्र रूप से एक शपथपत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।

5. <u>मूल्यांकन</u>

5.1. गेल द्वारा अनुच्छेद 3 में वर्णित मानदंड के आधार पर पार्टियों का मूल्यांकन और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

5.2. इच्छुक पार्टी (यों) द्वारा प्रस्तुत ईओआई प्रस्तत करने की अंतिम तिथि से 3 महीने के लिए अवश्य वैध होनी चाहिए ।

6. <u>शॉर्टलिस्टिंग के बाद की कार्रवाई</u>

6.1. शॉर्टलिस्टेड पार्टियों को गेल द्वारा शॉर्टलिस्टिंग की तारीख से 7 दिनों के भीतर व्यापक वित्तीय मॉडल और अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें उनके प्रस्तावित एसपीवी के लिए रियायती नकदी प्रवाह के माध्यम से रिटर्न शामिल हैं । यदि कोई पार्टी 1 एसपीवी से अधिक का प्रस्ताव करता है तो प्रत्येक प्रस्तावित एसपीवी के लिए पृथक वित्तीय मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा । वित्तीय मॉडल वास्तविक पूर्वानुमानों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसे बाद में गेल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

6.2. पार्टियों द्वारा अगले 3 माह के लिए प्रस्तुत ईओआई की वैधता को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा, यदि वे अगेल चरण के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं अर्थात वित्तीय मॉडल एवं एनबीओ सबमिशन के शेयरिंग हेतु ।

6.3. संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए गेल एक लेनदेन सलाहकार (टीए) की नियुक्ति करेगा । वित्तीय मॉडल और पार्टी से गेल / टीए द्वारा मांगे गए किसी भी अन्य डेटा के आधार पर गेल शॉर्टलिस्ट किए गए एसपीवी हेतु गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव (एनबीओ) प्रस्तुत कर सकता है ।

6.4. यदि पार्टी(यों) को एनबीओ स्वीकार्य है तो टीए के सहयोग से गेल द्वारा नियत कार्य (तकनीकी / कानूनी/वैधानिक/ वित्तीय/ कर एवं लेखांकन/ विलय एवं अधिग्रहण) के शपथ के ब्योरा हेतु पार्टी(यों) को एनबीओ की स्वीकृति के तारीख से 3 माह की अवधि के लिए विस्तृत विवरण देना अपेक्षित है । इसके अलावा, एनबीओ की स्वीकृति पर पार्टी को प्रस्तावित संयंत्र/परिसंपत्ति क्षमता (एसी) प्रति एमडब्ल्यू 0.5 लाख रुपये की बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में बयाना राशि जमा (ईएमडी) देने की आवश्यकता होगी । इसके अलावा, पार्टी को वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) आदि के माध्यम से उचित परिश्रम अध्ययन करने के लिए गेल / टीए को सभी आवश्यक डेटा/सूचना प्रदान करने की आवश्यकता होगी ।

6.5. गेल / टीए प्रस्तावित संयंत्र(त्रों)/ परिसंपत्ति(यों) के प्रचालन एवं अनुरक्षण, हेल्थ आदि के मूल्यांकन हेतु साइट का दौरा करेगा ।

6.6. यह नोट किया जाए कि आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने में विफलता, वित्तीय मॉडल में धोखाधड़ी डेटा प्रस्तुत करना जो कि उचित श्रम अध्ययन के दौरान पता चला है, पेशकश की गई संपत्ति की वापसी , विशिष्ट अवधि के दौरान किसी अन्य पार्टी को प्रस्तावित परिसंपत्ति (यों) की बिक्री के कारण ईएमडी जब्त की जाएगी ।

6.7. उचित श्रम अध्ययनों के परिणामों के आधार पर गेल प्रस्तावित संयंत्रों/संपत्तियों में प्रस्तावित स्टेक के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर सकता है और बाध्यकारी प्रस्ताव (बीओ) प्रस्तुत कर सकता है । यदि पार्टी को बीओ स्वीकार्य है तो प्रस्तावित संयंत्र / परिसंपत्ति में प्रस्तावित स्टेक के अधिग्रहण के लिए निर्णायक समझौते किए जाएंगे । यदि गेल द्वारा बीओ प्रस्तुत नहीं किया जाता है या प्रस्तुत बीओ पार्टी को स्वीकार्य या स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी स्थिति में ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

7. <u>ईओआई प्रस्तुत करने संबंधी सामान्य निर्देश</u>

7.1. ईओआई दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकृत व्यक्ति अंडरटेकिंग- ईओआई प्रतिभूति घोषण (फॉर्म IV) को छोड़कर बोर्ड में निदेशक/सीएंड एमडी/अध्यक्ष/एमडी/सीईओ/सीएफओ/सीएस या बोलीदाता बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति होना चाहिए जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जो निदेशक के स्तर से नीचे का न हो।

7.2. प्रस्तावों की जांच मूल्यांकन में सहायता करने के लिए प्रस्ताव के भाग के रूप में इच्छुक पार्टी(यों) द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज / जानकारी के संबंध में गेल स्पष्टीकरण मांग सकता है ।

7.3. स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, महाप्रबंधक (बीडी) से टेलीफोन: 011-26182955-2733 और ई-मेल: asiva@gail.co.in के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ।

7.4. ईओआई का उद्देश्य एसपीवी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए पार्टियों, जिन्हें प्रचालनगत सौर ऊर्जा संयंत्रों/संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त है, को शॉर्टलिस्ट करना है और इसके प्रावधान गैर-बाध्यकारी प्रकृति के हैं। गेल के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय ईओआई प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

7.5. बोलीदाता ध्यान दें कि चयन मानदंड को पूरा करने का मतलब स्वतः ही शॉर्टलिस्टिंग नहीं होगा और अग्रिम की अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए विचार करने के लिए ये केवल बुनियादी मानदंड हैं।

7.6. यदि प्रस्तुत की गई जानकारी बाद में गलत पाई जाती है; गेल के पास प्रस्ताव को अस्वीकार/समाप्त करने और यथा लागू ईएमडी को जब्त करने का अधिकार होगा।

7.7. इसके अतिरिक्त, गेल किसी या सभी प्राप्त ईओआई को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

7.8. इच्छुक पार्टी, इच्छुक पार्टियां, इच्छुक पार्टी (टियाँ), बोलीदाता अन्य बातों के साथ-साथ इस दस्तावेज़ में उपयोग किए जाते हैं और उक्त का वही मतलब होगा।

फॉर्म - I

आवरण पत्र के लिए प्रारूप

(पार्टी के स्वामित्व में एसपीवी वाली 100% / 50% इक्विटी हिस्सेदारी की पेशकश के मामले में इच्छुक पार्टी द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत करना है)

गेल (इंडिया) लिमिटेड
गेल भवन
16, भीकाएजी कामा प्लेस,
आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

विषय :प्रचालनगत सौर ऊर्जा संयंत्रों/संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)
महोदय,

यह उक्त विषय पर आपके ईओआई दस्तावेज सं.गेल/एनडी/बीडी/सोलर/ईओआई/2021 दिनांक 12.07.2021 के संदर्भ में है।

______________________________ (पार्टी/प्रवर्तक का नाम) एतद्द्वारा निम्नलिखित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) में गेल को अपनी इक्विटी हिस्सेदारी की पेशकश के लिए अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करती है, जिसके पास ईओआई दस्तावेज़ में निर्धारित शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र (त्रों) / संपत्ति (यों) का स्वामित्व है ।

एसपीवी, संयंत्रों/संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रमांक सं.	**एसपीवी का नाम**	**सोलर पार्क(कों) का नाम जहां संयंत्र/संपत्ति स्थित है**	**एसी क्षमता (मेगावाट)**	**इक्विटी की पेशकश** (%)
1				
2				
3				
4				

(हस्ताक्षर)
(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)
(कंपनी की मुहर)

फॉर्म - II

आवरण पत्र के लिए प्रारूप

(एक से अधिक पार्टी के स्वामित्व वाली एसपीवी में 100% / 50% इक्विटी हिस्सेदारी की पेशकश के मामले में इच्छुक पार्टी (यों) के प्रमुख सदस्य द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत करना है- प्रत्येक एसपीवी के लिए पृथक)

गेल (इंडिया) लिमिटेड
गेल भवन
16, भीकाएजी कामा प्लेस
आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066
भारत

विषय : प्रचालनगत सौर ऊर्जा संयंत्रों/संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

महोदय,

यह उक्त विषय पर आपके ईओआई दस्तावेज सं.गेल/एनडी/बीडी/सोलर/ईओआई/2021 दिनांक 12.07.2021 के संदर्भ में है। यह उल्लेख किया गया है कि विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) ________________________ (एसपीवी का नाम) नीचे उल्लिखित सदस्यों के स्वामित्व में है । हम निम्नलिखित द्वारा ईओआई दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुसार एसपीवी में गेल को अपनी इक्विटी हिस्सेदारी की पेशकश के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं:

क्रम सं.	सोलर पार्क(कों) का नाम जहां संयंत्र/संपत्ति स्थित है	एसी क्षमता (मेगावाट)	पार्टी (यों) का नाम	शेयरधारिता इक्विटी% (प्रतिशत)	प्रस्तावित इक्विटी (प्रतिशत)
1					
2					
			कुल		

इसके अतिरिक्त, सदस्यों ने संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ______________________ (प्रमुख सदस्य का नाम) को मुख्य सदस्य के रूप में नामित करने की सहमति दी है। मुख्य सदस्य के निर्णय सभी एसपीवी के सदस्यों को स्वीकार्य होंगे।

हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर:
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :
सदस्य का नाम-1 :	सदस्य का नाम-2 :
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :
सदस्य का नाम-3 :	सदस्य का नाम-4 :

मुख्य सदस्य के नामित व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित :

(हस्ताक्षर)

(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)

(कंपनी की मुहर)

फॉर्म-III

घोषणा - प्रपत्र - बैलेंस इक्विटी बनाए रखने हेतु

(प्रत्येक एसपीवी के लिए अलग - अलग होने की स्थिति में इच्छुक पार्टी / लीड सदस्य द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएगा, यदि एसपीवी में 50% इक्विटी प्रस्तावित की जाती है।)

दिनांक 12/07/2021 की ईओआई सं गेल/एनडी/बीडी/सोलर/ईओआई/2021 पर हमारे प्रतिउत्तर के संदर्भ में, हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि प्रस्तावित एसपीवी __________ (एसपीवी का नाम) में गेल के इक्विटी भागीदार बनने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार शेष 50% (कुल) इक्विटी को बनाए रखेंगे:

क्रम संख्या	सोलर पार्क का नाम जहां संयंत्र/संपत्ति स्थित है	एसी क्षमता (मेगावाट)	पार्टी का नाम (यों)	शेयरधारिता इक्विटी% (प्रतिशत)	प्रतिधारिता इक्विटी% (प्रतिशत)
1					
2					
			कुल		

इसके अलावा, हम गेल (इंडिया) लिमिटेड को अपने इन अधिकारों के साथ जैसे (1) गेल को फर्स्ट रिफ्यूज़ल राइट (आरओएफ़आर) (ii) यदि हम अपनी संबंधित इक्विटी हिस्सेदारी तीसरे पक्ष (यों) को बेचते हैं, गेल अपनी इक्विटी विनिवेश करना चाहता है तो हमारी इक्विटी गेल के साथ टैग करने की अनुमति देते हैं ।

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
सदस्य का नाम-1 :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
सदस्य का नाम-2 :

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
सदस्य का नाम-3 :

हस्ताक्षर:
नाम :
पदनाम :
सदस्य का नाम-4 :

मुख्य सदस्य के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित :

(हस्ताक्षर)

(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)

(कंपनी की मुहर)

फॉर्म-IV

घोषणा - प्रपत्र - ईओआई सुरक्षा घोषणा

(इच्छुक पक्षकार/ पक्षकारों द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

हम, ____________ (बोलीदाता का नाम दर्ज करें) ईओआई संख्या गेल/एनडी/बीडी/सोलर/ईओआई/2021 दिनांक 12.07.2021 के प्रति अपने प्रत्युत्तर के संबंध में गेल (इंडिया) लिमिटेड को एतद्दद्वारा घोषणा प्रस्तुत करते हैं । हम यह घोषणा करते हैं कि हम यथा प्रभावी वैधता के दौरान ईओआई के प्रति प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने संबंधी गतिविधियों के लिए ईओआई के प्रावधानों, जो लागू हो, का पालन करेंगे ।

हम यह घोषणा करते हैं कि ईओआई के प्रावधानों के अनुरूप यथा प्रभावी वैधता अवधि के दौरान अपने ईओआई /प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे या उसमे संशोधन नहीं करेंगे ।यदि हम यथा प्रभावी वैधता अवधि के दौरान ईओआई के प्रति अपने प्रत्युत्तर को वापस लेते हैं या उसमे संशोधन करते हैं अथवा ईओआई प्रलेख के प्रावधानों का उल्लंघन / विचलित करते हैं, तो हम ____________ (बोलीदाता के डालने का नाम) ईएमडी कि जब्ती सहित गेल द्वारा यथा अधिसूचित चूक की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए गेल द्वारा आगामी किसी भी निविदा में भागीदारी से निलंबित/प्रतिबंधित, जो भी लागू हो; किए जाने हेतु उत्तरदायी होंगे ।

(हस्ताक्षर)

(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)

(कंपनी की मुहर)

तारीख :

स्थान:

फॉर्म - V

चयन मानदंड

(इच्छुक पक्ष/मुख्य सदस्य द्वारा प्रत्येक संयंत्र/परिसंपत्ति के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाना है)

एसपीवी का नाम	
सोलर पार्क का नाम जहां संयंत्र/संपत्ति स्थित है	
मूल कंपनी का नाम (होल्डिंग कंपनी)	
शेयरधारिता % वाले अन्य शेयरधारकों के नाम (यदि लागू हो)	
प्रस्तावित संयंत्र/परिसंपत्ति की क्षमता (एसी) (मेगावाट)	
चालू करने की तिथि	
पीपीए पार्टी	
पीपीए कार्यकाल	
पीपीए टैरिफ	
पीपीए के अनुसार टैरिफ प्राप्य अवधि	
औसत वास्तविक प्राप्य अवधि (पिछले 1 साल)	
पीपीए की कोई अन्य प्रमुख शर्तें	
पंजीकृत कार्यालय का पता:	पता: शहर: जिला: राज्य: पिन/ज़िप:
प्रमुख कार्मिकों का संपर्क विवरण (पार्टियों के समूह के मामले में प्रमुख सदस्य)	नाम: पदनाम: पता:
प्रमुख कार्मिकों की ईमेल आईडी (पार्टियों के समूह के मामले में प्रमुख सदस्य)	

ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख को न्यूनतम 95 % संयंत्र उपलब्धता के साथ पिछले 12 महीनों से संयंत्र प्रचालित है (पिछले 12 महीनों का औसत) (हां / नहीं)	
मौज़ूदा नियम और शर्तों पर अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर के दिन से ओ एंड एम प्रदान कराने हेतु तैयार हैं । (हाँ नही)	
यदि गेल प्रस्तावित एसपीवी में 50% इक्विटी की हिस्सेदारी का अधिग्रहित करता है, तो गेल के इक्विटी भागीदार बनने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए 50% (कुल) इक्विटी को बनाए रखने हेतु तैयार है। तत्पश्चात यह प्रदान करने हेतु तैयार हैं - (1) गेल को फर्स्ट रिफ्यूज़ल राइट (आरओएफ़आर) (ii), गेल अपनी इक्विटी विनिवेश करना चाहता है तो हमारी इक्विटी गेल के साथ टैग करने हेतु । (हाँ /नहीं)	

(हस्ताक्षर)

(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पदनाम)

(कंपनी की मुहर)

फॉर्म -VI

बोलीदाता से प्रापण जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है

1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश (सार्वजनिक प्रापण सं.1) दिनांक 23.07.2020, आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) दिनांक 23.07.2020 और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 3) दिनांक 24.07.2020 संदर्भ देते हैं। ये वेबसाइट https://doe.gov.in/procurement-policy-divisions पर उपलब्ध हैं ।

2. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकरण के पास पंजीकृत हो। सक्षम प्राधिकरण के विवरण हेतु दिनांक 23.07.2020 के आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) के अनुलग्नक-I का संदर्भ लें।

   इसके अलावा, उपर्युक्त उन देशों के बोलीदाताओं पर लागू नहीं होगा (भले ही भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिन्हें भारत सरकार ने ऋण की सीमा बढ़ाई हो या जिनमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में कार्यरत हो। जिन देशों को ऋण सहायता प्रदान की गई है या जिनमें विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उनकी अद्यतन सूचियां विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर दी गई हैं।

3. **इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए "बोलीदाता"** (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'परामर्शदाता' 'वेंडर' या 'सेवा प्रदाता' सहित) का आशय किसी संघ या संयुक्त उद्यम (जो कि कई व्यक्तियों का एक एसोसिएशन या फर्म या कंपनी है) के किसी भी सदस्य सहित किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, प्रापण प्रक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कोई एजेंसी, शाखा या कार्यालय सहित पहले बताए गए बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में न आने वाले प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति से है ।

4. इस उद्देश्य के लिए **"एक देश का बोलीदाता जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है"**:
   ए) ऐसे किसी देश में गठित, स्थापित या पंजीकृत कोई कंपनी; या
   बी) ऐसे किसी देश में गठित, स्थापित या पंजीकृत किसी कंपनी की अनुषंगी कंपनी; या
   सी) ऐसे किसी देश में गठित, स्थापित या पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से मुख्य रूप से नियंत्रित कोई कंपनी; या

डी) एक ऐसी कंपनी जिसका लाभकारी स्वामी किसी ऐसे देश में स्थित है; या

ई) ऐसी किसी कंपनी का कोई भारतीय (या अन्य) एजेंट; या

च) कोई वास्तविक व्यक्ति जो ऐसे किसी देश का नागरिक है; या

छ) कोई संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत आता है ।

5. उपर्युक्त (4) के प्रयोजन के लिए **"लाभकारी स्वामी"** निम्नानुसार होगा:

i. किसी कंपनी या सीमित देयता पार्टनरशिप के मामले में लाभार्थी स्वामी वास्तविक व्यक्ति(यों) है, जो अकेले या एक साथ अथवा एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति(यों) के माध्यम से एक नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करता है ।

स्पष्टीकरण –

ए) "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" से आशय है कि कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व अथवा पात्रता;

बी) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक करार या मतदान करार शामिल हैं ।

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है अथवा एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से पार्टनरशिप के पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का हकदार है।

iii. एक असंगठित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में लाभकारी स्वामी वास्तकिव व्यक्ति है जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है अथवा एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामी या हकदार है ।

iv. जहां उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) के अंतर्गत किसी भी वास्तविक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है तो लाभकारी स्वामी प्रासंगिक वास्तविक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारी का पद धारण करता है ।

v. ट्रस्ट के मामले में लाभकारी स्वामी (स्वामियों) की पहचान में ट्रस्ट के ऑथर, ट्रस्टी, इस ट्रस्ट में पन्द्रह प्रतिशत या अधिक हित रखने वाले लाभकारियों और किसी अन्य वास्तविक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी जो इस ट्रस्ट पर नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण रखता हो।

6. इस आदेश के प्रयोजन हेतु **"एजेंट"** एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है।

7. **<u>बोलियों में प्रमाणपत्र जमा करना:</u>**

बोलीदाता इस संबंध में फॉर्म-ए के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि किसी बोलीदाता द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाण पत्र जिसकी बोली स्वीकार की जाती है, झूठा पाया जाने पर उस बोली को तत्काल अस्वीकार करने/समाप्त करने और"भ्रष्ट/धोखाधड़ी/कपटपूर्ण/जबरदस्ती का व्यवहार के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया" वेबसाइट - www.gailtenders.in पर उपलब्ध है।

8. पंजीकरण, जहां भी लागू हो, बोलियां जमा करने के समय और बोलियों की स्वीकृति का समय वैध होना चाहिए। निविदा के अलावा अन्य आपूर्ति के संबंध में आदेश देते समय पंजीकरण वैध होना चाहिए। यदि बोलीदाता आदेश की स्वीकृति/प्लेसमेंट के समय वैध रूप से पंजीकृत था तो संविदा निष्पादन के दौरान पंजीकरण प्रासंगिक विवेचन नहीं होगा।

<u>फार्म-ए</u>

<u>पत्रशीर्ष पर शपथपत्र</u>

(प्रत्येक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा,
मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड

____

विषय:

ईओआई संख्या:

महोदय,

हमने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले बोलीदाता से प्रापण के प्रावधानों के बारे में उपबंधों को पढ़ा है और हम प्रमाणित करते हैं कि बोलीदाता मेसर्स ____________ ***(बोलीदाता का नाम)*** :

(i) किसी ऐसे देश से नहीं है [ ]

(ii) यदि किसी ऐसे देश से है और सक्षम प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया है [ ]

(सक्षम प्राधिकरण द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा)

(बोलीदाता को उपर्युक्त उपयुक्त विकल्प (✓ या X) पर निशान लगाना है)।

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि बोलीदाता मैसर्स ____________ ***(बोलीदाता का नाम)*** इस संबंध में सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है और ईओआई हेतु विचार किए जाने के योग्य है।

स्थान: [बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर]
दिनांक: नाम:
पदनाम:
मुहर :